न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 146 / 2015 **दायर दिनांकः 02.11.2015**

उनवान

1. कैलाश चन्द आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
2. चन्द्र मोहन आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
3. चन्द्र प्रकाश आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
4. रामकंवरी बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
5. कोशल्या बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
6. इन्द्र बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन जातियान ऐरवाल निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. गोपाली बाई आयु वर्ष पुत्री घांसी लाल जाति कोली निवासी जलदाय विभाग के पीछे कवाई तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. रामचरण आयु वर्ष पुत्र सेवा जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द्र गौतम।

आदेश दिनाक : 25 / 09 / 2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादीगणों के पिता ने दिनांक 04.12.1989 को ख0नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि ग्राम कवाई की गोपाली बाई पुत्री घासी लाल जाति कोली निवासी कवाई से जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा क्रय की थी। उक्ताकिंत खसरा नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि मद नं0 में अंकित विक्रेता गोपाली बाई पुत्री घांसीलाल ने दिनांक 05.08.1988 को रामचरण पुत्र बेवा जाति कोली निवासी कवाई से क्रय की थी। मद नं0 1 एवं 2 में

अंकित तथ्यों के अनुसार गोपाली बाई ने रामचरण से क्रय की तथा वादीगणों के पिता जगमोहन ने गोपाली बाई से क्रय की थी। प्रथम क्रेता गोपाली बाई ने उक्ताकिंत भूमि का बेनामा रजिस्टर्ड कराने के बाद खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया लेकिन खातेदारी से पूर्व ही गोपाली ने यह क्रय शुदा भूमि का हवाला देते हुये इस क्रय की गई भूमि का जगमोहन पुत्र मांगीलाल ऐरवाल वादीगणों के पिता को जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा बेचान कर दी गई। क्रेता जगमोहन ने भी खातेदारी प्राप्त करने के लिये आवेदन किया लेकिन खातेदारी नही दी गई और स्वर्गवास हो गया। जगमोहन के स्वर्गवास होने के बाद से अभी तक वादीगणों को खातेदारी नही दी गई जबकि वादीगण कर्ता जगमोहन पुत्र मांगीलाल के उत्तराधिकारी है। वाद प्रथम विक्रेता रामचरण एवं दूसरे विक्रेता गोपाली बाई को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता गोपाली बाई से क्रेता जगमोहन के फोत हो जाने से उसके उत्तराधिकार द्वारा खातेदारी प्राप्त करने की घोषणा किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद में भूमिधारी सरकार होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया गया है और धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस जारी कर दिया गया है। वाद अंकित भूमि श्रीमान के क्षैत्र में होने से श्रीमान को वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश किया गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वादीगणों के पिता जगमोहन पुत्र मांगी लाल द्वारा गोपाली बाई से ग्राम कवाई की ख0नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि क्रय कर लेने से तथा जगमोहन के फोत हो जाने से जगमोहन के वारिसान वादीगणों के पक्ष में खातेदारी दिये जाने की घोषणा की जावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर पेश किया जिसमे कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 बिल्कुल मिथ्या व मनगढंत अंकित की गई है, चरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 रामचरण से खसरा नं0 533 की 14 बिस्वा भूमि दिनांक 05.08. 1988 को गोपाली बाई को खरीद किया जाना अस्वीकार हैं वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार अंकित की गई है, अस्वीकार है। गोपाली बाई ने किसी प्रकार का कोई बैचान जगमोहन पुत्र मांगीलाल को नही किया है। वाद पत्र की मद नं0 5 मिथ्या अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है

तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र के अंत में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है। दावा खारिज किये जाने योग्य है।

—:: विशेष आपत्तियां ::—

वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू की भूमि खसरा नंबर 1270 रकबा 0.10 है0 आराजी वर्तमान में रामचरण पुत्र सेवा कौम कोली निवासी कवाई के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी में प्रस्तुत है। उक्त आराजी के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 933 रकबा 14 बिस्वा थे, जिसको खातेदार रामचरण ने दिनांक 05.08.1988 को प्रतिवादिया क्रम 1 गोपालीबाई को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर कब्जा व दखल दिया गया था। तब से प्रतिवादी क्रम 1 गोपाली बाई का उक्त आराजी पर स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण के द्वारा दिनांक 04.12.1989 को उक्त आराजी गोपालीबाई से खरीद करना बिल्कुल मिथ्या व मनगढंत अंकित किया है। ंगोपालीबाई ने किसी भी प्रकार की कोई आराजी का बेचान जगमोहन वादीगण के पिता को नही किया तथा न ही गोपालीबाई नेकिसी भी प्रकार का कोई पंजीयन पर अपने हस्ताक्षर अंगुठे लगाए है। गोपाली बाई का जो पंजीयन बताया गया है, वह बिल्कुल फर्जी है, गोपालीबाई आज तक बेचान हेतु सबरजिस्ट्रार अटरू के यहां उपस्थित नही हुई है और उक्त फर्जी बेचान के कारण ही 27 वर्षो में भी जगमोहन द्वारा उक्त आराजी का इंतकाल नही खुलाया गया। उक्त वाद प्रस्तुत करने के पूर्व न तो आज तक जगमोहन ने न ही उनके वारिसान वादीगण ने उक्त आराजी के बाबत् कोई वाद—विवाद किया है, न ही उक्त जमीन के बेचान के बाबत् कोई कथन किया है और न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि फर्जी पंजीयन के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। उक्त वादमे किसी भी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। न ही वाद कारण उत्पन्न होनेका कारण अंकित किया गया है। वाद कारण पैदा होने की अनुपस्थिति में ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कानूनन बिना वाद कारण के ही प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। अवधि मध्य प्रस्तुत नही किया गया है। अवधि बाह्य होने से वाद पत्र कानूनन खारिज किए जाने योग्य है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किए बिना तथा उसकी अवधि व्यतीत किए बिना एवं धारा 80 (2) के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुति के बिना ही उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो कानूनन खारिज किए जाने योग्य है। चूंकि उक्त वाद प्रस्तुत करनेके

पश्चात प्रतिवादीगण को उक्त मिथ्या एवं फजी पंजीयन किये जाने का ज्ञान हुआ है, जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध नल एंड वोईड है तथा धारा 207 आर0टी0एक्ट के अंतर्गत सम्माननीय न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किए जाने योग्य है। इस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किए जाने का कारण उत्पन्न हुआ है और यही कारण प्रतिवाद प्रस्तुत कारण है। प्रतिवाद पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। जिसका श्रीमान को श्रेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर इस आशय का अनुतोष पारित किया जावे कि–

(अ) कथित पंजीयन दिनांक 04.12.1989 बाबत् खसरा नं0 933 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम कवाई हसील अटरू को नल एंड वोईड घोषित किया जाकर शून्य घोषित किया जावें तथा प्रतिवादिया गोपाली बाई को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.1988 के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) विवादित आराजी पर वादीगण एवं उनके प्रतिनिधिगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादिया क्रम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रतिवादिया क्रम 1 व 2 के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

अभिभाषक वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश नही करने के कारण ज0उ0ज0 बंद किया गया।

दावे जवाब दावे के आधार पर कुल 7 तनकी कायम कीः–

1. **तनकी नं0 1:–** वाद के चरण नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि ग्राम कवाई को जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा गोपाली बाई ने वादीगण के पिता को दिनांक 04.12.1989 को विक्रय की थी।

(वादी)

2. **तनकी नं0 2:–** विवादित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोपाली बाई ने रामचरण प्रतिवादी से दिनांक 05.08.1988 को क्रय की थी।

(वादी)

3. **तनकी नं0 3:–** वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी थी घोषणा कराने के हकदार है।

(वादी)

4. **तनकी नं0 4:–** दिनांक 04.12.1989 को गोपाली बाई ने वादीगण के पिता को कोई विक्रय पत्र निष्पादित नही किया।

(प्रतिवादी)

5. **तनकी नं0 5:–** वाद अवधि पार होने से खारिज योग्य है।

(प्रतिवादी)

6. **तनकी नं0 6:–** 80 सी0पी0सी0 के नोटिस की अवधि पार होने से खारिज योग्य है।

(प्रतिवादी)

7. **तनकी नं0 7:–** फर्जी पंजीयन होने से प्रतिवादी के विरूद्ध नल एंड वोइड तथा विक्रय पत्र शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

(प्रतिवादी)

तनकी कायम की

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत गवाह PW_1 से PW_2 पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. **तनकी नं0 1:–** वाद के चरण नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि ग्राम कवाई को जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा गोपाली बाई ने वादीगण के पिता को दिनांक 04.12.1989 को विक्रय की थी। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादीगण के पिता जगमोहन को गोपाली बाई ने 04.12.1989 बैचान रजिस्ट्री की प्रति पेश की है। जो प्रदर्श P1A है। जिससे साबित पाया गया है। कि प्रतिवादी गोपाली बाई द्वारा वादीगण के पिता को ग्राम कवाई की ख0नं0 933 रकबा 14 बिस्वा भूमि बैचान की गई है। तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

2. **तनकी नं0 2:–** विवादित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोपाली बाई ने रामचरण प्रतिवादी से दिनांक 05.08.1988 को क्रय की थी। इस तनकी को साबित करने का भार

वादीगण पर था, वादीगण द्वारा रामचरण पुत्र सेवा द्वारा विक्रेय की गई रजिस्टरी दिनांक 05.08.1988 की प्रति पेश की है, जो प्रदर्श P2 है, जिससे साबित होता है। कि प्रतिवादी गोपाली बाई द्वारा ग्राम कवाई ख0नं0 933 की 14 बिस्वा भूमि खरीद की थी तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

3. **तनकी नं0 3ः—** वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी की घोषणा कराने के हकदार है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रदर्श P1A रजिस्ट्री बैचान की प्रति पेश की है। जिससे साबित पाया जाता है। कि प्रतिवादी गोपाली बाई ने वादीगण के पिता जगमोहन पुत्र मांगी लाल चमार को बैचान की है। बैनामा रजिस्ट्री के बाद से आज दिनांक तक ख0नं0 933 रकबा 0.14 है0 भूमि पर वादी व परिवार वालों का कब्जा है। क्रेता जगमोहन की मृत्यु हो जाने से इन्तकाल नही खुला जगमोहन के वादीगण वारिस है, व भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। विक्रय विलेख व कब्जे के आधार खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। तनकी नं0 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

4. **तनकी नं0 4ः—** दिनांक 04.12.1989 को गोपाली बाई ने वादीगण के पिता को कोई विक्रय पत्र निष्पादित नही किया। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था वादीगण द्वारा वाद मे फर्द दस्तावेज के साथ प्रदर्श P1A बेनामा आराजी की प्रति दिनांक 04.12.1989 पेश की है। इसको फर्जी दस्तावेज करार देने बाबत् कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये गये तथा दिनांक 22.08.2019 को उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी बेनामा आराजी 04.12.1989 को फर्जी करार नही कर पाये। अतः तनकी नं0 4 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

(भा0स0 प्रतिवादी)

5. **तनकी नं0 5ः—** वाद अवधि पार होने से खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था, जो प्रकरण में सिद्ध नही करने से तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

(भा0स0प्रतिवादी)

6. **तनकी नं0 6ः—** 80 सी0पी0सी0 के नोटिस की अवधि पार होने से खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था इस तनकी का निर्णय मेरिट पर किया

जाना था जिसको प्रतिवादी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

(भा0स0 प्रतिवादी)

7. **तनकी नं0 7:–** फर्जी पंजीयन होने से प्रतिवादी के विरूद्ध नल एंड वोइड तथा विक्रय पत्र शून्य घोषित किये जाने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे पंजीयन दस्तावेज विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किया जावें।

(प्रतिवादी)

अतः तनकी संख्या 7 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है। ग्राम कवाई जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 खाता संख्या 326 ख0नं0 933 रकबा 14 बिस्वा दर्ज थी जिसका बैचान खातेदार रामचरण द्वारा गोपाली बाई को दिनांक 05.08.1988 को बैचान की गई है। इसी प्रकार गोपाली बाई द्वारा उक्त भूमि का विक्रेय जगमोहन वादीगण के पिता को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 04.12.1989 को विकृय की है। उक्त दौना क्रेतागण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रेता पत्रों का रिकार्ड में अमल दरामद नही कराया गया। इसी बीच बन्दोबस्त हो जाने से साबिक विक्रेय आराजी ख0नं0 933 रकबा 14 बिस्वा का हाल ख0नं0 मुताबिक क्षेत्रफल ख0नं0 1270 रकबा 10 बिस्वा मूल खातेदार रामचरण के खाते दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी ग्राम कवाई की साबिक ख0 नं0 933 रकबा 0.14 है0 हाल ख0नं0 1270 रकबा 0.10 है0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में लिखवाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 146/2015

उनवान

1. कैलाश चन्द आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
2. चन्द्र मोहन आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
3. चन्द्र प्रकाश आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
4. रामकंवरी बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
5. कोशल्या बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन।
6. इन्द्र बाई आयु वर्ष पुत्र जगमोहन जातियान ऐरवाल निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. गोपाली बाई आयु वर्ष पुत्री घांसी लाल जाति कोली निवासी जलदाय विभाग के पीछे कवाई तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. रामचरण आयु वर्ष पुत्र सेवा जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादी:– विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द्र गौतम।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की साबिक ख0 नं0 933 रकबा 0.14 है0 हाल ख0नं0 1270 रकबा 0.10 है0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.10.21 15:48:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: